27-01-2025 पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या– 1 (जितेन्द्र पुत्र श्री ईश्वरदास वैष्णव, जाति– वैष्णव, निवासी– घांचीवाडा, सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म श्रीजी आईसक्रीम (भरका देवी), झोरा मगरा होटल, गोयली चौराया, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही) एवं प्रतिवादी संख्या–2 (श्रीमती सरस्वती देवी पत्नि श्री ईश्वरदास वैष्णव, जाति– वैष्णव, निवासी– घांचीवाडा, सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म श्रीजी आईसक्रीम (भरका देवी), झोरा मगरा होटल, गोयली चौराया, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही) के अधिवक्ता उपस्थित।

आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 22.4.2024 को फर्म श्रीजी आईसक्रीम (भरका देवी), झोरा मगरा होटल, गोयली चौराया, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता जितेन्द्र पुत्र श्री ईश्वरदास वैष्णव से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (मेंगों फलेवर) का नमूना संख्या S-2320, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर के जांच रिपोर्ट क्रमांक:**L.S./589/Act/2024/614** दिनांक 09.5.2024 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल माली उपस्थित हुये एवं प्रतिवादीगण की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में दिनांक 15.01.2025 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव एवं प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल माली की बहस सुनी गई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित

.....लगातार

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** F.S.S.Act Case No.99/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए

करते हुए यह व्यक्त किया कि फर्म श्रीजी आईसक्रीम (भरकादेवी), झोरा मगरा होटल, गोयली चौराया, सिरोही में प्रतिवादी जितेन्द्र से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (मेंगों फलेवर) का नमूना संख्या S-2320 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर के जांच रिपोर्ट क्रमांकः **L.S./589/Act/2024/614** दिनांक 09.5.2024 में अमानक (sub-standard) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। फर्म श्रीजी आईसक्रीम (भरकादेवी) की प्रोपराईटर प्रतिवादी संख्या–2 सरस्वती देवी है। अतः प्रतिवादीगण पर अमानक खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (मेंगों फलेवर) के विक्रय हेतु उक्त धारा 51 के तहत शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जावे। जबकि प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल माली ने प्रतिवादी के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व उक्त अधिनियम की धारा 32 की पालना नही की गई है। धारा 32 के अनुसार यदि अभिहित अधिकारी के पास यह विश्वास करने के लिये युक्तियुक्त आधार है की खाद्य कारोबारकर्ता, ऐसे किन्हीं विनियमों का पालन करने में असफल रहा है जिन्हें यह धारा लागु होती है, तो ऐसे खाद्य कारोबारकर्ता पर एक सूचना तामिल करेगा, लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त धारा 32 की पालना किये बिना ही सीधे प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित प्रक्रिया मौके पर सम्पादित नही की है तथा न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित कथनों को भी सक्षम साक्ष्य से साबित नही करवाया है। उक्त नमूना किसी कारण से अमानक पाया गया है वह उक्त जांच रिपोर्ट में नही दर्शाया है। प्रतिवादी फर्म श्रीजी आईसक्रीम (भरकादेवी) ने आईसक्रीम मेंगों फलेवर अमानक खाद्य का विक्रय नही किया है, बल्कि प्रतिवादी फर्म द्वारा अच्छी गुणवत्ता व उच्च श्रेणी के खाद्य पदार्थो का विक्रय किया जाता है। प्रतिवादी की फर्म अपने ग्राहकों का पूर्ण ध्यान रखते हुए अच्छी गुणवत्ता व उत्तम श्रेणी के खाद्य पदार्थो का विक्रय करती है। प्रतिवादी ने आईसक्रीम मेंगों फलेवर में कोई मिलावट नही की है, जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो। अतः प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।

हमनें प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 24.04.2024 को समय 01–00 पी.एम. पर फर्म श्रीजी आईसक्रीम (भरकादेवी), झोरा मगरा होटल, गोयली चौराया, सिरोही पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी जितेन्द्र पुत्र श्री ईश्वरदास वैष्णव, जाति– वैष्णव, निवासी–घांचीवाडा, सिरोही उपस्थित

.......लगातार

न्यायालय प्रति० जिला प्रबिस्ट्रेट ★ सिरोही (राज०) ★

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** F.S.S.Act Case No.99/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	मिले। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म श्रीजी आईसक्रीम (भरकादेवी), झोरा मगरा होटल, गोयली चौराया, सिरोही के निरीक्षण के दौरान फर्म श्रीजी आईसक्रीम (भरकादेवी), झोरा मगरा होटल, गोयली चौराया, सिरोही की दुकान के अन्दर स्टील की बरनी में आमजन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (मेंगो फलेवर) लगभग 8–10 किलोग्राम में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की सूचना प्रतिवादी विक्रेता जितेन्द्र पुत्र श्री ईश्वरदास को गवाह श्री चन्दनदास, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म श्रीजी आईसक्रीम (भरकादेवी) की दुकान में स्टील के बरनी में रखे हुए खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (मेंगो फलेवर) लगभग 8–10 किलोग्राम में से 1200 ग्राम आईसक्रीम (मेंगो फलेवर) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय किया एवं उसकी कीमत राशि रुपये 360/– (अक्षरे रुपये तीन सौ साठ मात्र) अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने खरीदशुदा आईसक्रीम (मेंगो फलेवर) को हिला मिलाकर एकरुप करके इस खरीदशुदा आईसक्रीम (मेंगो फलेवर) को प्रतिवादी विक्रेता व गवाह के समक्ष चार साफ, सूखी एवं खाली प्लास्टिक शीशीयों में बराबर–बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्यके शीशी में फार्मेलीन की 24–24 बूंदे डालकर प्रत्येक नमूना शीशी को ढ़क्कन से एयरटाईट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2320, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (मेंगों फलेवर) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता जितेन्द्र पुत्र श्री ईश्वरदास वैष्णव एवं गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने हस्ताक्षर किये। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा आईसक्रीम (मेंगो फलेवर) की चारों नमूना शीशीयों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा खरीदशुदा चारों नमूना शीशीयों/भागों पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं एवं क्रम संख्या S-2320 उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता जितेन्द्र पुत्र श्री ईश्वरदास वैष्णव व गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता जितेन्द्र पुत्र श्री ईश्वरदास वैष्णव व गवाह तथा श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुए है। तत्पश्चात् श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह ......लगातार	

न्यायालय प्रति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** F.S.S.Act Case No.99/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए

यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 29.04.2024 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री विश्वजीत, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 22.4.2024 को ही शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म श्रीजी आईसक्रीम (भरकादेवी), झोरा मगरा होटल, गोयली चौराया, सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता जितेन्द्र पुत्र श्री ईश्वरदास वैष्णव से खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (मेंगो फलेवर) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय किये गये खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (मेंगो फलेवर) के नमूना संख्या S-2320 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक **L.S./589/Act/2024/614** दिनांक 09.5.2024 में खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (मेंगो फलेवर) का नमूना अमानक (sub-standard) पाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि फर्म श्रीजी आईसक्रीम (भरकादेवी), झोरा मगरा होटल, गोयली चौराया, सिरोही की प्रोपराईटर प्रतिवादी संख्या 2 (श्रीमती सरस्वती देवी पत्नि श्री ईश्वरदास वैष्णव, जाति– घांची, निवासी–घांचीवाडा, सिरोही) है। इस प्रकार, पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी श्रीमती सरस्वती देवी पत्नि श्री ईश्वरदास वैष्णव, जाति– घांची, निवासी–घांचीवाडा, सिरोही की प्रोपराईटरी फर्म श्रीजी आईसक्रीम (भरकादेवी), झोरा मगरा होटल, गोयली चौराया, सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता जितेन्द्र पुत्र श्री ईश्वर दास द्वारा अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (मेंगों फलेवर) (नमूना संख्या S-2320) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (मेंगो फलेवर) (नमूना संख्या S-2320) के विक्रय हेतु प्रतिवादी श्रीमती सरस्वती देवी पत्नि श्री ईश्वरदास वैष्णव, जाति– वैष्णव, निवासी– घांचीवाडा, सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म श्रीजी आईसक्रीम (भरका देवी), झोरा मगरा होटल, गोयली चौराया, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 25,000/– (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी सरस्वती देवी को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.